ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट संख्या–01,सैक्टर–के0पी0–4, ग्रेटर नौएडा सिटी

गौतम बुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रांक/उद्योग/2019/7300

दिनांक 26/06/2019

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित ऐसे औद्योगिक भूखण्ड जिनका आवंटन दिनांक 30.09.2011 से पूर्व है तथा जिनकी लीजडीड दिनांक 30.11.2016 तक निष्पादित हो चुकी है, को निर्माण/क्रियाशील हेतु 6 (छः) माह का समय अनुमन्य किया जाता है।

प्राधिकरण नीति के अनुसार निर्धारित समय सीमा के बाद प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के लिए क्रमशः 4 प्रतिशत, 6 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत विलम्ब शुल्क एवं तत्पश्चात भूखण्ड के प्रीमियम के 1 प्रतिशत प्रतिमाह आवंटन दर से विलम्ब शुल्क सहित वर्तमान औद्योगिक नीति के अन्तर्गत 6 माह का समय (कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि से 6 माह) प्रदान किया जायेगा। पूर्व में जो प्रकरण निस्तारित हो चुके है उन पर कोई प्रभाव नही पडेगा ना ही कोई जमा धनराशि/विलम्ब शुल्क आवंटी को वापस की जायेगी।

यदि इकाईयों द्वारा उक्त अवधि में अपने भूखण्ड का निर्माण/क्रियाशील नही कराया गया तो उनके आवंटन को निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

उक्त आदेश प्राधिकरण बोर्ड में लिये गये निर्णय के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

/

(सतोष कुमार)
विशेष कार्याधिकारी

OPA16-46476

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
2. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त/नियोजन/परियोजना) ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण।
4. प्रबन्धक (उद्योग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रबन्धक (सिस्टम) को प्राधिकरण की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. गार्ड फाईल।

विशेष कार्याधिकारी